

समक्ष में - माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)



R-266-II 113


1. कन्हैयालाल जायसवाल पिता स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
2. आनंद कुमार जायसवाल आत्मज स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
3. सुरेन्द्र कुमार जायसवाल पिता स्व. श्री जवाहर लाल जायसवाल
4. हर्षित जायसवाल पिता आनंद जायसवाल

भी निवासी बुढ़ार, तह. सोहागपुर जिला शहडोल (म.प्र.)

आवेदकगण

बनाम

अनावेदक



निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महोदय शहडोल संभाग शहडोल दिनांक 16.10.2012 द्वारा प्रकरण क्र. 20/निगरानी/2011-12 एवं कलेक्टर महोदय शहडोल दिनांक 26.09.2011 द्वारा प्रकरण क्र. 15/अ-74/2009-10 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में स्थित भूमि खसरा क्र. 28 रकवा 10 एकड़, खसरा क्र. 47/1 रकवा 5 एकड़, खसरा क्र. 47/2 रकवा 5 एकड़, खसरा क्र. 48 रकवा 6 एकड़, खसरा क्र. 66/2 रकवा 3 एकड़, एवं खसरा क्र. 68 रकवा 15.23 एकड़ कुल 6 कित्ता, एकत्र क्षेत्रफल 44.23 एकड़ आवेदकगण एवं अन्य के नाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है। कलेक्टर महोदय शहडोल द्वारा प्रार्थी/आवेदकगण एवं 5 अन्य को दिनांक 22.4.2010 को कारण बताओ

चर्चा - 11/2/12



Handwritten signature and date 11/2/12.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 266-दो/2013

जिला - शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-2-2016	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण वर्ष 2013 से लंबित है। आवेदक की ओर से प्रकरण प्रस्तुती के पश्चात 4 वर्ष समय व्यतीत हो जाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। आज भी आवेदक एवं उनके अभिभाषक को समय-समय पर पुकार लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण में रुचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: center;">   </p>	